न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 45 / 2018 **दायरा दिनांक : 09.03.2018**

उनवान

1– जन सामान्य जर्ये ग्रामवासी ग्राम रूपाखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड अध्ययक्ष गंगाराम वल्द नानूराम सुतार आयु 53 साल

2– सचिव भैरू सिंह आत्मज बापूलाल, जाति सोंध्या, निवासी रूपाखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

3– भैरू सिंह आत्मज भवानीसिंह, जाति सोंध्या, निवासी रूपाखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–

3 / 1– मनोहरसिंह वल्द भैरू सिंह, आयु 35 साल,, जाति सोंध्या, निवासी रूपाखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

4– सदस्य रामपाल वल्द माधो सिंह, जाति सोंध्या, निवासी रूपाखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

5– गोकुल सिंह वल्द रामलाल, जाति सोंध्या, निवासी रूपाखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय   दिनांक :21.05.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 108/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादीगण ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम रूपाखेड़ी, तहसील पिड़ावा की आराजी किता 2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे । चूंकि यह आराजी दिनांक 08.07.1977 को इसके गैर खातेदार धनसिंह ने ग्रामवासियान को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दी थी । धनसिंह की मृत्यु हो चुकी हे । धनसिंह द्वारा बेची गई आराजी खसरा नम्बर 226 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 268 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस कारण वादीगण उक्त आराजी के खातेदार टीनेन्ट घोषित होने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ नयायालय ने अपीलांट वादीगण का दावा खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियश है एवं अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध अपीलांट का दावा खारिज किया है जो अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर निर्णय देने में विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2018 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा